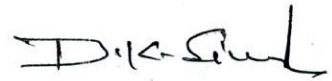


कार्यालय क्रय समिति, जनपद न्यायालय फर्रुखाबाद।

लॉ बुक्स, जनरल्स की बाइंडिंग हेतु स्टीमेट/कुटेशन आहूत करने हेतु सार्वजनिक सूचना।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय फर्रुखाबाद के पुस्तकालय अनुभाग में नये/पुराने लॉ बुक्स, जनरल्स की बाइंडिंग होनी है। किसी भी कार्य दिवस में जनपद न्यायालय फर्रुखाबाद के पुस्तकालय अनुभाग के पुस्तकालय लिपिक से बाइंडिंग होने वाले नये/पुराने लॉ बुक्स, जनरल्स की भौतिक रूप से जानकारी की जा सकती है। जो भी व्यक्ति/फर्म नये/पुराने लॉ बुक्स, जनरल्स की बाइंडिंग करना चाहते हैं, वह अपनी फर्म के स्टीमेट/कुटेशन दिनांक 07.03.2026 तक पुस्तकालय अनुभाग, जनपद न्यायालय फर्रुखाबाद में प्रस्तुत कर सकते हैं।

दिनांक: 26.02.2026

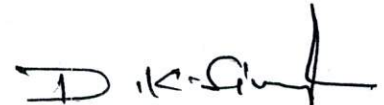

(दीपेन्द्र कुमार सिंह-I)

अध्यक्ष, क्रय समिति,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या-08, फर्रुखाबाद।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रभारी अधिकारी पुस्तकालय को सूचनार्थ।
- 2- जिला न्यायालय, फर्रुखाबाद के नजारत के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।
- 3- कलेक्ट्रेट नजारत, फतेहगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।
- 4- नगर पालिका परिषद, फतेहगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।
- 5- जिला पंचायत, फतेहगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।
- 6- जिला सूचना अधिकारी, फतेहगढ़ को निःशुल्क समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
- 7- नोडल अधिकारी कम्प्यूटर्स, जनपद न्यायालय फर्रुखाबाद को जनपद न्यायालय फर्रुखाबाद की वेबसाइट तथा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 8- बाह्य न्यायालय, कायमगंज के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।
- 9- शासनादेश सं0 562/19-02-2007-1007/74 (T.C.) dated July 2007 के सन्दर्भ में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र संख्या 1607/Admin. (B-V) Section: Allahabad Dated May 10, 2024 के निर्देशानुसार निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ को प्रेषित की जाये।

दिनांक: 26.02.2026


(दीपेन्द्र कुमार सिंह-I)

अध्यक्ष, क्रय समिति,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या-08, फर्रुखाबाद।